भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 162
सोमवार, 01 दिसंबर, 2025 / 10 अग्रहायण, 1947 (शक)

प्रवासी श्रमिकों का कल्याण

162. श्री राजीव रायः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में प्रवासी श्रमिकों पर कोई सर्वेक्षण कराया है;
(ख) यदि हाँ, तो राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इन प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई कल्याणकारी उपाय किए हैं; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो ने प्रवासी कामगारों पर एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्य पूरा कर लिया गया है।

प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा के लिए केंद्रीय सरकार ने अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 को लागू किया था। इस अधिनियम को अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (ओएसएच) संहिता में सम्मिलित कर लिया गया है। ओएसएच संहिता प्रवासी कामगारों सहित कामगारों की सभी श्रेणियों को सम्मानजनक कार्य दशाएं, न्यूनतम वेतन, शिकायत निवारण तंत्र, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा, कौशल वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की, जो प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है और इसे आधार से जोड़ा गया है।

बजट घोषणा, वर्ष 2024-25 के विज़न के अनुरूप, जिसमें असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच के लिए ई-श्रम को 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' के रूप में विकसित करने की योजना है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम-''वन-स्टॉप-सॉल्यूशन'' की शुरुआत की है। ई-श्रम-''वन-स्टॉप-सॉल्यूशन'' में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं का एकल

जारी..2/-

पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकरण करना शामिल है। यह ई-श्रम पर प्रवासी कामगार सहित पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच प्राप्त करने और अब तक उठाए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाएँ ई-श्रम के साथ पहले ही एकीकृत/मैप की जा चुकी हैं, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई - जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएसवाई) और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) शामिल हैं।

सरकार प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं में; (i) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), (ii) पीएम स्वनिधि योजना, (iii) प्रधानमंत्री आवास योजना, (iv) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और (v) प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) शामिल हैं।

******